जनकू देवी v/s सुवालाल (2023/532)

09/2/24 हेतु अवकाश चाहा गया है अतः पत्रावली तारीख जवाब शपथ पत्र आर्डर हेतु दिनांक 13/3/24 को पेश हो।

13/3/24 उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)

पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अनुपस्थित है। अतः पत्रावली पुनर्नियत दिनांक 20/3/24 को पेश हो।

20/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी तथा प्रतिकार्डीगण की ओर से जवाब T.9 पेश नहीं किया गया। प्रतिकार्डीगण को जवाब T.9 हेतु न्यायहित में एक और अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दि0 3/4/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

3/4/24 पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पुनर्नियत दिनांक 15/4/24 को पेश हो।

15/4/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण व उनके वकील अनुपस्थित। प्रति सं. 1 लाव 5 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वास्ते जवाब T.9 हेतु दिनांक 31/5/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

31/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी तथा [illegible] का निस्तारण किया जा चुका है अब इस T.Z. [illegible] का डाटा चलाने जाने का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली के [illegible] से कम से कम 10 बाद तामील [illegible]

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Party Adv. Maruti ji

Ef & report 23/11/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) सांगानेर, जिला जयपुर

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्याः–.....199...../2023

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

जनकू देवी पत्नी स्व. श्री रामगोपाल, निवासी– मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. सुवालाल शर्मा पुत्र श्री रामजीवण शर्मा
2. चौथमल शर्मा पुत्र श्री रामजीवण शर्मा,
3. कल्लीदेवी पत्नी स्व0 श्री राधेश्याम शर्मा,
4. कैलाश पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम शर्मा,
5. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम शर्मा,

समस्त निवासीगणः–ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

6. तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

महोदय,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत हैः–

1. यह कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष ठोस आधारों पर वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी के सफल होने की पूरी पूरी आशा है।
2. यह कि प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व की कृषि भूमि खाता संख्या नया 72 पुराना 66 के खसरा नम्बर 1253 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर जो वाके ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा, पटवार हल्का मोहनपुरा, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में [illegible] वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति के नाम से सम्बोधित किया जा

अ.नि. जनकूदेवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:03 IST
Reason: SelfAttested